अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना

मैसर्स जीण माईन्स बनाम भारत माईनर स्कोरसेज प्रा.लि.

मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 763 सन् 2023 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री रोशनलाल अग्रवाल** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **उभय पक्षो को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 168, 169, 170, 172, कुल किता 04 कुल रकबा 3.32 हैक्ट0 अवस्थित ग्राम नीमोद पटवार हल्का खादरा तहसील नीमकाथाना में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।**	
उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।	
प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना [illegible] करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख [illegible] तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं आवश्यकता [illegible] का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये रजि. नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 31.08.2023 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:32:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/10/23को पेश हो।

17/10/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/12/23को पेश हो।

19/12/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित I.P.O. क... कार्यो मे व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ...क 26/02/24 को पेश हो।

26/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/5/24 को पेश हो।

15/5/2024 पत्रावली प्रार्थी व वकील प्रार्थी की ओ...
से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी व प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा करने का पेश हो...
पर तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उप...
प्रार्थी व वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी
प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही चाहते है न...
आगे चलाना चाहते है। अत: प्रार्थी का प्र...
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा की अनुमति
साथ खारीज किया जाता है। पत्रावली के
शुमार होकर ... से ... होकर दफ्तर...

(राजवीर सिंह ...)
उपखण्ड अधि...
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:32:25 IST
Reason: SelfAttested